

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदक श्री संजीव अग्रवाल आ0 श्री एस0 के0 अग्रवाल द्वारा मेसर्स अग्रवाल इन्फाटेक पता सागर प्लाजा 250 जोन-2 एन0 पी0 नगर भोपाल द्वारा ग्राम दामखेडा की भूमि खसरा नं. 71/2, 71/3 कुल रकबा 3.238 हे0 भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा है।

उक्त भूमि के संबंध में हल्का पटवारी हुजूर से जांच प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन दिनांक 11/01/13 अनुसार प्रश्नाधीन ग्राम दामखेडा की भूमि खसरा नंबर-71/2, 71/3 रकबा 1.619 एवं 1.619 कुल रकबा 3.238 हे0 भूमि वर्तमान अखिलेख में मेसर्स अग्रवाल इन्फाटेक द्वारा श्री संजीव अग्रवाल आ0 श्री एस0 के0 अग्रवाल पता सागर प्लाजा 250 जोन-2 एन0 पी0 नगर भोपाल के नाम से दर्ज है उक्त भूमि खसरा नंबर-71 का बन्दोबस्त पूर्व का खसरा नं. 8/1/2 था जो रीनम्बरिंग पर्चानुसार है, जो कि वर्ष 1959 में निजी स्वत्व पर दर्ज थी।

अतः तहसीलदार, के जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/1/13 के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व की होकर अशासकीय भूमि है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल यह प्रमाणित करता है कि शासकीय अभिलेखों के अनुसार यह भूमि शासकीय नहीं है। नगर निगम भोपाल एवं नगर ग्रामीण नियोजन विभाग तथा अन्य कार्यालय द्वारा स्वीकृत योजना एवं नक्शों के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनापत्ति प्रमाण पत्र यह प्रमाणित नहीं करता है कि :-

1. उक्त भूमि का भूमि स्वामी आवेदक है तथा
2. उक्त भूमि अधीन भूमि सीमा अधिनियम 1976 प्रावधानों से मुक्त है तथा।
3. उक्त भूमि पर यदि किसी प्रकार का निर्माण विकास कार्य किया जाता है तो वह मास्टर प्लान के अनुरूप होगा यह प्रमाण पत्र केवल यह पुष्टि करता है कि उक्त भूमि शासकीय नहीं है।
4. इस दस्तावेज में कोई कांट, छांट, नहीं है यह अनापत्ति प्रमाण पत्र एक वर्ष तक वैध रहेगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण या सत्यापन नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी प्रकार के भूमि/स्वत्व संबंधी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त हो जावेगा।



राजेश श्रीवास्तव
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर, भोपाल